झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना सं०–8/अधि०/104/2012 न०वि०आ० 7775 राँची, दिनांक–19/12/17

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली–2012" के अध्याय–4 नियम–18 (2) (क) में निम्न रूपेण संशोधन करते है:–

क्र०	नियमावली का नियम	अधिसूचित नियमावली में किया गया प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2	3	4
1	अध्याय–18 (2) (क)	ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जब तक वह अधिनियम एवं इस नियमावली या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अयोग्य घोषित न हो, उस नगरपालिका अथवा उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र होगा जिसकी मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित है।	ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जबतक वह अधिनियम एवं इस नियमावली या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन आयोग्य घोषित न हो, उस नगरपालिका के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा जिसकी मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो।

2. यह संशोधन अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा।

3. "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली–2012 के अध्याय–4 नियम–18 (2) (क)" में संशोधन प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद झारखण्ड के द्वारा दिनांक–12.12.2017 को मद संख्या–1 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
19.12.17
(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/अधि०/104/2012 न०वि०आ० 7775 राँची, दिनांक–19/12/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

19.12.17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/अधि०/104/2012 न०वि०आ० 7775 राँची, दिनांक–19/12/17

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.12.17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/अधि०/104/2012 न०वि०आ० 7775 राँची, दिनांक–19/12/17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, सूडा/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/श्री कुणाल, विशेषज्ञ/को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.17
सरकार के प्रधान सचिव।

Manju/E/Sec.-8/Adisuchna-43